राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID: irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 16251 दिनांक : 28-07-2023

आदेश

"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने एवं जिनको काम की आवश्यकता है, उनको मांगे जाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा तथा आमजन को इसका लाभ अधिक से अधिक देने की दृष्टि से योजना के अनुमोदित दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 06(E)(iii) एवं (H)नोट(iv) अनुसार समस्त नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार में **संवेदको के माध्यम से** करवाये जाने वाले पक्के निर्माण कार्य यथा सड़क निर्माण, इन्टरलॉकिंग, सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालय के निर्माण / मरम्मत, सामुदायिक भवन निर्माण आदि एवं अन्य समस्त पक्के निर्माण कार्यो में तकमीनो के अनुरूप सृजित कुल अकुशल श्रमिकों की संख्या का **न्यूनतम 25 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों का नियोजन "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" से किया जावेगा।**

संबन्धित निकायों के द्वारा निकाली जाने वाली निविदाओं हेतु प्रसारित की जानी वाली विज्ञप्ति, निविदा प्रपत्र एंव जारी किये जाने वाले कार्यादेश में स्पष्ट रूप से उपरोक्त वर्णित शर्त (Condition) का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

संवेदको द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों का नियोजन मस्टररोल जारी करवाकर आवश्यक रूप से किया जावे एवं नियोजित श्रमिकों का पर्यवेक्षण संबन्धित नियमित अधिशाषी / सहायक / कनिष्ठ अभियंता द्वारा किया जाकर उनके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगें, जिससे श्रमिकों के हित पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़े।

(A) कार्य हेतु जारी तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति अनुरूप कुल आवश्यक अकुशल श्रमिकों में से न्यूनत्तम 25 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों का नियोजन "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" से आवश्यक रूप से किया जायेगा तथा इसका भुगतान IRGY मद से सीधे लाभार्थी के खाते में निकाय द्वारा (Online) किया जायेगा। शेष भुगतान निकाय के द्वारा निविदा की शर्तो के अनुरूप स्वीकृत दरों पर संवेदक को नियमानुसार किया जायेगा।

(B) संवेदको के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो में प्रयुक्त सामग्री, मशीनरी, कुशल श्रमिक एवं उपरोक्त बिन्दु संख्या (A) के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार का भुगतान निविदा की शर्तो के अनुरूप स्वीकृत दरों पर संवेदक को नियमानुसार किया जायेगा।

(C) कार्यो का अभिसरण (convergence) इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाकर जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार जारी स्वीकृति उपरान्त कराना होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित ळें

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 16252-16535 दिनांक: 28-07-2023
प्रतिलिपि:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग एवं संसदीय कार्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक (तकनीकी), स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
5. जिला कलक्टर एंव जिला परियोजना समन्वयक समस्त राजस्थान।
6. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका को उपरोक्तानुसार पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अधीक्षण/अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता नगरीय निकाय .... को उपरोक्तानुसार पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव